न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 01/2015 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

रामबाबू पुत्र श्री गौरीशंकर उम्र करीब 85 साल जाति ब्राहम्ण निवासी मौहल्ला भामतीपुरा तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. कृष्णगोपाल पुत्र श्री मदन मोहन जाति ब्राहम्ण निवासी मौहल्ला भामतीपुरा तहसील व जिला धौलपुर।
2. कालीचरन पुत्र देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नगर पालिका रोड धौलपुर।
3. नत्थीलाल शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कायस्थ पाडा धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दिनांक 27.03.2015 उनवानी रामबाबू बनाम कृष्णगोपाल मु0न0 23/11

उपस्थितिः—

1. श्री भगवती प्रसाद झॉ वकील अपीलांट।
2. श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक :— 26.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 27.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी स्थित ग्राम भामतीपुरा तहसील व जिला धौलपुर का रिकार्डेड खातदार काश्तकार गणेशीलाल पुत्र माधौ सिंह ब्राहम्ण निवासी भामतीपुरा धौलपुर था। जिनकी मृत्यु संवत 2030 में हो गई जिनके वारिसान् उनके तीन पुत्र विशनस्वरूप, पन्नालाल व मदनमोहन हुये, पन्नालाल व मदन मोहन भी अर्सा करीब 17 वर्ष पूर्व फौत हो चुके हैं। जिनके वारिस रैस्पो0/अप्रार्थी संख्या 01 व अतरदेई, शकुन्तला देवी व राधेश्याम है। जिन्होनें मृतक मदनमोहन व पन्नालाल का तर्का प्राप्त किया है। अतरदेवी, शकुन्तलादेवी व राधेश्याम ने दिनांक 25.08.2010 व दिनांक 25.08.2010 को ही विशनस्वरूप पुत्र गणेशीलाल ने रैस्पो0/अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में रिलीज डीड पंजीबद्ध कराई गई, जो मुकाबले अपीलाण्ट/प्रार्थी शून्य है। उक्त

राजस्थान सरकार
Web Copy - Not Official

आराजी रैस्पो0/अप्रार्थी संख्या 01 व अतरदेवी, शकुन्तलादेवी व राधेश्याम, विशनस्वरूप के पूर्व पुरूष गणेशीलाल से उपरोक्त विवादित आराजी अपीलाण्ट/प्रार्थी ने संवत 2016 में हमेशा के लिए काश्त पर प्राप्त की। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में संवत 2030 तक दर्ज है। रैस्पो0/अप्रार्थी संख्या 01 व अतरदेवी, शकुन्तलादेवी, राधेश्याम, विशनस्वरूप सकूनत तर्क कर गये। अतः प्रार्थना पत्र दायर कर खातेदारी अधिकार घोष्ज्ञित होने तक रैस्पो0/अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि मूल दावा के निस्तारण तक यदि विवादित भूमि के रिकार्ड और मौके की यथास्थिति रहती है तो प्रत्येक पक्षकार के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार गनेशीलाल से संवत 2016 में हमेशा–हमेशा के लिए काश्त पर ली थी। अतः प्रथम दृष्टया केस अपीलाण्ट के हक में होना जाहिर है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है, रैस्पो0 वाद में प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी के तहत जुडे हैं, उनका विवादित आराजी में कोई हित निहित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2015 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये, कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच कर विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी को कभी भी शिकमी काश्त पर नहीं दिया और ना ही अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा पूर्व में अथवा वर्तमान में रहा है। विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार रैस्पो0 के पूर्व पुरूष गणेशीलाल रहे हैं एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त उनका समस्ता तर्का बतौर वारिस रैस्पो0 ने प्राप्त किया है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2009 पार्ट–2 पेज 1393, 1398, 2017 पार्ट–1 पेज 259, आर0आर0डी0 1993 पेज 5 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट के तर्को पर मनन किया। अपीलाण्ट/प्रार्थी संवत 2016 से विवादित भूमि को हमेशा–हमेशा के लिए काश्त पर हासिल करना कहते हुए, विवादित भूमि पर अपने अधिकार का दावा करता है। विवादित आराजी में पक्षकारों के अधिकार, मूल वाद में साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना से तय होंगें। परन्तु दौराने वाद विवादित भूमि की स्थिति का परिवर्तन, वाद जटिलता एव वाद बहुलयता को उत्पन्न करती है। हमारी दृष्टि में दौरान वाद, विवादित भूमि का क्षय रोकने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के लिए रैस्पो0/अप्रार्थी को विवादित आराजी के विक्रय, रहन से पाबन्द करना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा मूल वाद के निर्णय होने तक हम विवादित भूमि को रहन, वय मुंतकिल नहीं करने की पाबन्दी उचित समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 27.03.2015 निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official